सऊदी अरेबिया में रियाहा से 200 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में है यहाँ का सबसे पुराना रिहायशी क्षेत्र ''उशेगर,'' जिसे अश्वेगर भी कहते हैं। प्राचीन काल में कुवैत, इरान और इराक से आने वाले हज यात्री यहां रूका करते थे। उशेगर का सबसे पहला उल्लेख एक अरब शायर मलिक-अल-अब्बासी के लेखन में मिला है, जो सातवीं सदी में यहां रहता था। परंतु यह क्षेत्र संभवतः उससे भी पुराना है। कालान्तर में, आधुनिक परिवहन के विकास के साथ उशेगर का महत्व खोता चला गया। ''हैरिटेज विलेज'' की अवधारणा में उशेगर एकदम फिट बैठता है, जहाँ हर तरफ पारम्परिक जीवन शैली नज़र आती है। पारंपरिक स्थापत्य के अलावा यहाँ के म्यूज़ियम में प्राचीन हथियार, रोजमर्रा के बर्तन, कशीदाकारी किए हुए कपड़े व खूबसूरत आभूषण देखे जा सकते हैं। तथापि, उशेगर का पुराना सैक्शन परित्यक्त है। हैरिटेज विलेज के रूप में उशेगर को विकसित करने का काम प्रगति पर है। कुछ इमारतों की मरम्मत हो गई है और कुछ अभी जीर्ण हालत में ही हैं। गलियों के जटिल नैटवर्क में, हालांकि, पैदल चलना बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन किसी भी खुली इमारत में घुसना खतरनाक हो सकता हैं। उशेगर के बाहर खजूर के वृक्ष तथा कुएं हैं। यहां के घरों की खास बात है, तिकोनी खिड़कियां व छतें और छत को सहारा देने के लिए विशिष्ट शिखर वाले खम्भे। छतें लकड़ी की बनी हैं और ठीक से देख भाल की जाए तो यहाँ के मौसम में काफी लंबी देर तक चलती हैं। स्थानीय लकड़ी से बने दरवाज़ों को ज्यामितीय डिज़ाइन से सजाया गया है।

'लाल डायरी से राजस्थान सरकार में इतनी घबराहट क्यों है'

केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा, राजेन्द्र गुढ़ा दावा कर रहे हैं कि, यह लाल डायरी गहलोत सरकार को गिरा सकती है, लेकिन अगर गहलोत गलत नहीं हैं तो फिर घबरा क्यों रहे हैं

- **शेखावत ने कहा कि, यह लाल डायरी वर्ष 2020 में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और गहलोत के राजदार के घर आयकर के छापे के दौरान बरामद की गई थी। तब राजेन्द्र गुढ़ा राजस्थान पुलिस और अपने साथियों के साथ जाकर आयकर अधिकारी से यह लाल डायरी छीन लाए थे।**
- **केन्द्रीय मंत्री ने पूछा कि, यदि गहलोत पाक साफ हैं और कुछ भी गलत नहीं हुआ है तो उन्हें या सरकार के लोगों को घबराने की क्या जरूरत है। गहलोत सरकार की घबराहट बता रही है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है।**

नई दिल्ली, 24 जुलाई (वार्ता)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा द्वारा विधानसभा में लायी गयी 'लाल डायरी' को लेकर तीखे तंज कसे और पूछा कि अगर गहलोत सरकार गलत नहीं हैं तो इतना घबरा क्यों रही है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में सवाल किया, लाल डायरी क्या है और इसे लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार में इतनी घबराहट क्यों?

शेखावत ने कहा कि राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा पटल पर ये विषय रखा कि अशोक गहलोत सरकार से महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाई है तो उन्हें मंत्री पद से निकाल दिया गया। मंत्री पद से निकाले जाने के बाद आज राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर पहुंचे, जिसे लेकर उनका दावा है कि ये डायरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार गिरा सकती है।

उन्होंने कहा कि ये लाल डायरी वर्ष 2020 में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और गहलोत के राजदार के घर आयकर के छापे के दौरान बरामद की गई थी। तब गुढ़ा राजस्थान पुलिस और अपने साथियों के साथ जाकर आयकर अधिकारी से यह लाल डायरी छीन लाए थे।

उन्होंने कहा कि गुढ़ा के मुताबिक इस लाल डायरी में अशोक गहलोत साहब के कई राज छिपे हैं। इस लाल डायरी का रहस्य जिस दिन खुलेगा, उस दिन राजस्थान में एक बड़ा हंगामा होगा और कई लोगों के राजनीतिक वजूद हमेशा- हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे।

केन्द्रीय मंत्री ने पूछा कि यदि गहलोत पाक साफ हैं और कुछ भी गलत नहीं हुआ है तो उन्हें या सरकार के लोगों को घबराने की क्या जरूरत है। गहलोत सरकार की घबराहट बता रही है कि कहीं कोई गड़बड़ है।

गौरतलब है कि, राजेन्द्र सिंह गुढ़ा ने गत शनिवार को विधानसभा में चर्चा के दौरान अपनी ही सरकार के खिलाफ महिला सुरक्षा के मामले नाकामी का आरोप लगाते हुये कहा था कि, हम मणिपुर में महिलाओं के साथ रेप की बात कर रहे हैं लेकिन उससे पहले हमें अपनी गिरेबां में झांक लेना चाहिये। राजस्थान देश की रेप कैपिटल है देश में रेप के कुल मामलों का करीब 30 प्रतिशत राजस्थान में दर्ज होते हैं। पूरे देश में महिला उत्पीड़न के मामले में राजस्थान शीर्ष पर है।

ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर ऐन मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

ए.एस.आई. की 30 सदस्यीय टीम ने सोमवार सुबह से ही मस्जिद के सर्वे का काम शुरु कर दिया था

- **गौरतलब है कि, गत शुक्रवार को वाराणसी जिला अदालत ने अपने फैसले में आदेश दिया था कि, वजूखाने को छोड़कर पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे तत्काल शुरु किया जा सकता है।**
- **सोमवार को इस मामले में दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुये आदेश दिया कि, इस बीच मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर्वे पर रोक लगाने की अपील दायर कर सकता है।**

नई दिल्ली, 24 जुलाई (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) के सर्वे करने के वाराणसी जिला अदालत के आदेश पर सोमवार को 26 जुलाई तक रोक लगा दी। जिला अदालत के 21 जुलाई 2023 के आदेश पर ए.एस.आई. के 30 सदस्यीय एक दल ने सोमवार सुबह से सर्वे का काम शुरू कर दिया था।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी के मामले का तत्काल उल्लेख करने पर यह आदेश पारित किया।

पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि जिला न्यायाधीश का आदेश 26 जुलाई शाम पांच बजे तक लागू नहीं किया जाएगा। इस बीच मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकता है। पीठ ने उच्च न्यायालय रजिस्ट्री से इस मामले को सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के संबंधित पीठ के समक्ष रखने को भी कहा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि जिला न्यायाधीश की ओर से सर्वेक्षण का आदेश शुक्रवार अपराह्न 4.30 बजे पारित किया गया था। ऐसे में आवेदक को उच्च न्यायालय के समक्ष अपने कानूनी उपाय करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए।

अहमदी ने सर्वे कराने के आदेश विरोध करते हुए जिला अदालत के आदेश की वैधता पर सवाल उठाया। उन्होंने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि जिला अदालत ने शीर्ष अदालत के आदेश की अवमानना करते हुए ए.एस.आई. को मस्जिद स्थल की खुदाई करने की अनुमति दी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मस्जिद परिसर में फिलहाल कोई आक्रामक तरीका या खुदाई नहीं की जा रही है।

मेहता ने अपनी जानकारी का हवाला देते हुए कहा,एक भी ईंट नहीं हटाई जा रही है। वे केवल माप, फोटोग्राफी, रडार इमेजिंग कर रहे हैं। इससे पहले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मेहता से ज्ञानवापी मस्जिद की स्थिति का पता लगाना और इससे अदालत को अवगत कराने को कहा था।

नए वकीलों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खंडपीठ ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा की पी.आई.एल. पर दिए।

सुनवाई के दौरान ए.ए.जी. ने कहा कि, राज्य सरकार ने अपनी बजट घोषणा में वकीलों के कल्याण के लिए हर साल पांच करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा कोविड के दौरान भी फंड दिया था। इसके जवाब में याचिकाकर्ता का कहना था कि, आंध्रप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ व केरल में वकीलों को राज्य सरकार स्टाइपैंड दे रही है। इसलिए यहां पर भी सरकार वकीलों को स्टाइपैंड दे।

याचिका में कहा गया था कि, अन्य राज्यों में वकीलों के वेलफेयर के लिए योजनाएं हैं, लेकिन राजस्थान के वकील इससे वंचित हैं। नए वकीलों को स्टाइपैंड की जरूरत है।

वकीलों की आकस्मिक मौत होने पर भी एडवोकेट वेलफेयर फंड से उनके परिजनों को आर्थिक मदद देने की प्रदेश में कोई ठोस स्कीम नहीं है। इसलिए नए वकीलों को जल्द स्टाइपैंड जारी करवाया जाए और वेलफेयर फंड से अंशदान दिलवाया जाए।

'स्पीकर के अयोग्यता...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई है। इसलिए इस मामले में केन्द्र सरकार को भी पार्टी बनाया गया है। विधायक मोहनलाल नामा की तरफ से अधिवक्ता विमल चौधरी व योगेश टेलर ने जल्दी सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था।

सुनवाई के दौरान जब अदालत ने पूछा तीन साल पुराने मामले में किन-किन पार्टियों ने जवाब दायर नहीं किया है तो उन्हें केन्द्र सरकार की पैरवी कर रहे ए.एस.जी. आर.डी. रस्तोगी ने बताया कि केन्द्र सरकार को अभी जवाब देना शेष है इसके लिए तीन सप्ताह दिए जाएं। कोर्ट ने केन्द्र सरकार द्वारा तीन साल में भी जवाब नहीं देने पर हैरानी जताई और उन्हें तीन सप्ताह का समय दिया साथ ही विधायकों से कहा कि उन्हें प्रति उत्तर देने के लिए अतिरिक्त एक सप्ताह दिया जाता है। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी।

सुनवाई के दौरान मोहनलाल नामा के अधिवक्ता विमल चौधरी व योगेश टेलर ने कहा कि, आगामी विधानसभा चुनाव की अधिसूचना अक्टूबर 2023 में लागू हो जाएगी और मौजूदा याचिकाकर्ता विधायक दिसंबर 2023 में विधायक नहीं रहेंगे, ऐसे में मामले की जनहित में जल्द सुनवाई की जाए।

अदालत ने सभी पक्षकारों से पूछा कि क्या उन्होंने जवाब पेश कर दिया है। इस पर राज्य सरकार व स्पीकर सहित अन्य की ओर से जवाब पेश करने की जानकारी दी गई और केन्द्र सरकार की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया। इस पर अदालत ने ए.एस.जी. को तीन सप्ताह का समय दिया है।

गौरतलब है कि पी.आर. मीणा सहित अन्य विधायक ने याचिका में विधानसभा स्पीकर द्वारा 14 जुलाई 2020 को उन्हें दिए गए अयोग्यता के नोटिस को चुनौती दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2020 के अंतरिम आदेश द्वारा स्पीकर के नोटिस की क्रियान्विति पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश को विधानसभा स्पीकर सहित अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. के जरिए चुनौती दे रखी है।

कर्नाटक हाई कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर ली है। मुरलीधर का कहना है कि 12 जुलाई को शाम सात बजे उनके आफिशियल फोन के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। संदेश भेजने वाले का कहना था कि हाईकोर्ट के छह जज उसके निशाने पर हैं। उसका कहना था कि पाकिस्तान के अलाइट सैन्ट्रल बैंक में 50 लाख जमा न कराए तो जजों की हत्या हो जाएगी।

जिन जजों को जान से मारने की बात कही गई है उनमें जस्टिस मोहम्मद नवाज, जस्टिस एचटी नरेंद्र प्रसाद, जस्टिस अशोक जी, जस्टिस एचपी संदेश, जस्टिस के नटराजन, जस्टिस बी वीरप्पा शामिल हैं। हालांकि धमकी देने वाले ने ये बात साफ नहीं की है कि इन जजों को ही क्यों निशाने पर लिया गया है। धमकी देने वाले का कहना है कि पैसे पाकिस्तान के बैंक में नहीं पहुंचे तो छह जजों को वो टारगेट पर लेकर उनका खात्मा कर देगा।

वॉट्सएप मैसेज भेजने वाले ने खुद को दुबई गैंग का सदस्य बताया है। मुरलीधर को उसने कई अलग-अलग नंबरों से संदेश भेजे। एक मैसेज में लिखा गया था कि यह इंडियन हमारे आपके शूटर हैं। पुलिस ने आई.टी. एक्ट की धाराओं के साथ आई.पी.सी. के सेक्शनों के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना की जा रही है। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस देख रही है कि धमकी देने वाला कौन है?

एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि ये बात भी साफ नहीं हो सकी है कि मैसेज भेजने वाले ने इन छह जजों को ही क्यों निशाने पर लिया। जबकि कर्नाटक हाईकोर्ट में दूसरे भी कई जस्टिस हैं। फिलहाल धमकी देने वाले की सही लोकेशन पता करने की कोशिश की जा रही है।

शेयर मार्केट से ''डी-लिस्ट'' हो रही कंपनी के निवेशकों का पूरा पैसा अब डूबेगा नहीं!

- **सेबी की चेयरपर्सन माधवी बूच ने बताया कि, डी लिस्ट होने जा रही कंपनी भी अपने निवेशकों का पैसा वापस लौटायेगी, इसके लिए आई.पी.ओ की तर्ज पर नई व्यवस्था शुरु की जायेगी**
- **आम तौर पर जब कोई कंपनी अपना कारोबार बंद करती है, खुद को दिवालिया घोषित कर देती है या फिर विलय, लिस्टिंग आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाती है तो डी-लिस्टिंग में जाती है। इसके लिए अभी किसी तरह की फिक्स्ड प्राइस नहीं तय की जाती है।**

मुंबई, 24 जुलाई। आने वाले दिनों में कंपनी के डी-लिस्टिंग की प्रक्रिया आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आई.पी.ओ. की तर्ज पर हो सकती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने बताया कि सेबी डी-लिस्टिंग को रिवर्स बुक-बिल्डिंग प्रक्रिया के बजाय फिक्स्ड प्राइस के माध्यम से अनुमति देने पर विचार कर रहा है। नियामक ने कहा कि सेबी दिसंबर तक इस विषय पर एक चर्चा पत्र जारी करेगा। इसके तहत अब किसी कंपनी की डी-लिस्टिंग होगी तो उसके लिए फिक्स्ड प्राइस भी तय किया जाएगा।

बता दें कि इस तरह की प्रक्रिया आई.पी.ओ. में अपनाई जाती है। आई.पी.ओ. के जरिए कंपनी की लिस्टिंग होती है और इससे पहले फिक्स्ड प्राइस तय किया जाता है। डी-लिस्टिंग की प्रक्रिया तब की जाती है जब किसी कंपनी को इंडेक्स से बाहर निकलना होता है। यह स्वैच्छिक या अस्वैच्छिक हो सकती है। आम तौर पर जब कोई कंपनी अपना कारोबार बंद करती है, खुद को दिवालिया घोषित कर देती है या फिर विलय, लिस्टिंग आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाती है तो डी-लिस्टिंग में जाती है। इसके लिए अभी किसी तरह की फिक्स्ड प्राइस नहीं तय की जाती है।

'प. बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा की एन.आई.ए. जांच होकर ही रहेगी'

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी देते हुये जांच पर रोक लगाने की प. बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी

- **गौरतलब है कि, प. बंगाल में गत तीस मार्च को रामनवमी के मौके पर जगह-जगह हिंसा और धार्मिक यात्राओं पर पथराव की घटनायें हुईं थीं। इनमें कई लोगों की मौत हो गई थी तथा कई अन्य लोग घायल हुये थे।**

नई दिल्ली, 24 जुलाई (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने रामनवमी पर हुई हिंसक घटनाओं से संबंधित छह प्राथमिकी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) को स्थानांतरित करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की विशेष अनुमति याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए हम राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं।

पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने एन.आई.ए. जांच का निर्देश देने के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसे राज्य सरकार ने चुनौती नहीं दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुवेंदु अधिकारी की ओर से दायर याचिका पर इस साल हावड़ा और अन्य स्थानों पर रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के मामले में छह प्राथमिकियों को एन.आई.ए. को स्थानांतरित करने का आदेश 27 अप्रैल 2023 को दिया था।

पीठ ने कहा कि राज्य पुलिस द्वारा छह प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। ये प्राथमिकी 30 मार्च से अप्रैल 2023 के पहले सप्ताह के दौरान दर्ज की गईं। एन.आई.ए. द्वारा की जाने वाली जांच की सटीक रूपरेखा का इस स्तर पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र ने एन.आई.ए. अधिनियम के तहत इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक अधिसूचना जारी की थी।

सरकार सभी राज्यों में अपराधों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विपक्ष ने नियम 267 के तहत नोटिस देकर मणिपुर पर चर्चा होने तक सारी कार्रवाई स्थगित करने की मांगकी है। एन.डी.ए. के सांसदों ने नियम 176 के तहत नोटिस दिए हैं जिसमें अल्पावधि चर्चा होती है।

विपक्ष मणिपुर पर प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर अड़ा हुआ है जबकि एन.डी.ए. का कहना है कि परम्परानुसार गृह मंत्री अमित शाह बहस का जवाब देंगे। लोकसभा में इंडिया गठबंधन के सांसदों में मणिपुर के लिए न्याय की तख्तियां लहराई।

लोकसभा में अफरा तफरी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वे 20 जुलाई को सदन में मणिपुर पर अल्पावधि चर्चा का नोटिस स्वीकार कर चुके हैं और सरकार तैयार है।

धनखड़ ने कहा कि एन.डी.ए. सांसदों से प्राप्त शेष 11 नोटिसों पर वे सक्रिय कार्यवाई कर रहे हैं।

धनखड़ ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्षी सांसदां के नाम पढ़े जिनसे नियम 267 के नोटिस प्राप्त हुए हैं। विपक्ष के सांसदों द्वारा वैल में सरकार विरोधी नारे लगाने के बाद उन्होंने सदन को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी विपक्षी सांसदों द्वारा मणिपुर पर चर्चा के हल्ले के बीच कार्रवाई दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी। सरकार सभी राज्यों में अपराधों पर चर्चा चाहती है, केवल मणिपुर पर नहीं, जबकि विपक्ष केवल मणिपुर पर चाहता है।

राज्यसभा में विपक्ष ने नियम 267 के तहत चर्चा की मांग जारी रखी लेकिन गत कुछ दिनों से संसद में अनुशासन की बात करने वाले धनखड़ ने पहले आप के सांसद का नाम लिया।

सभापति ने सबसे पहले सदन की कार्रवाई में दखल के लिए संजय सिंह का नाम लिया जब विपक्ष के विरोध के बीच प्रश्नकाल लिया गया। विपक्ष मणिपुर हिंसा पर विस्तृत चर्चा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वक्तव्य चाहता है। 51 वर्षीय संजय सिंह विपक्ष की मांगों के लिए अध्यक्ष के आसन के नज़दीक आए। धनखड़ ने उनको अपना स्थान गृहण करने के लिए कहा। जब आप सांसद विरोध करते रहे तो सभापति ने उनका नाम लिया।

सभापति द्वारा संजय सिंह का नाम लेने के बाद सदन के नेता पीयूष गोयल ने एक प्रस्ताव पेश कर आसन से आप सदस्य को निलंबित करने की मांग की।

आसन से संजय सिंह के विरूद्ध कार्रवाई का निवेदन करते हुए गोयल ने कहा, ''इस तरह का व्यवहार और सदन में व्यवधान उत्पन्न करना सदन की परम्पराओं और नियमों के विरूद्ध है। सरकार संजय सिंह को निलंबित करने का प्रस्ताव लाना चाहती है।

प्रस्ताव सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत हुआ जिसने इसे स्वीकृति दे दी।

सभापति ने संजय सिंह के निलंबन की घोषणा कर दी। राज्यसभा स्थगित होने तक आप सदस्य विरोध करते रहे।

मु.मंत्री संगमा के कार्यालय पर भीड़ ने हमला किया

शिलॉन्ग, 24 जुलाई। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के कार्यालय पर भीड़ ने सोमवार शाम को हमला कर दिया, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। सी.एम. संगमा सुरक्षित हैं। वह अभी भी तुरा में स्थित अपने कार्यालय के अंदर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सैकड़ों लोगों ने उनकी ऑफिस को घेर लिया है। दरअसल, गारो हिल्स स्थित सिविल सोसाइटी ग्रुप तुरा में शीतकालीन राजधानी की मांग कर रहा है। इसे लेकर लोग भूख हड़ताल पर भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री तुरा स्थित कार्यालय में 3 घंटे से अधिक समय तक आंदोलनकारी संगठनों के साथ बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान अचानक हजारों की भीड़ ने सी.एम.ओ. के पास आई और पथराव करने लगी। सी.एम.ओ. तुरा की खिड़कियों पर भी पत्थर फेंके गए हैं। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए।

''मिसिंग'' विदेश मंत्री और ''सीक्रेसी'' ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तथा श्रीलंका के वरिष्ठ राजयनिकों से मिले थे।

पिछले सप्ताह, यूरोपियन संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसफ बोरेल के साथ उनकी मीटिंग पूर्व निर्धारित थी लेकिन बीजिंग ने, यह कहते हुये कि चिन उपलब्ध नहीं हैं, बोरेल की यात्रा को एकाएक रद्द कर दिया था।

''एशिया सोसायटी पॉलिसी इन्स्टीट्यूट्स सेन्टर फॉर चाइना ऐनेलेसिस'' के सीनियर फैलो फिलिप ली कोर्ट के अनुसार, आगे और कोई स्पष्टीकरण दिये बिना इस यात्रा को रद्द किया जाना यूरोपवासियों के लिये ''अगर लज्जाजनक नहीं, तो बहुत अधिक विस्मयकारी'' जरूर था।

7 जुलाई को विदेश मंत्रालय से पहली बार यह पूछा गया कि क्या इस यात्रा को रद्द किये जाने के पीछे स्वास्थ्य संबंधी कारण थे, लेकिन उसके प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि उन्होंने ''इस विषय में कुछ नहीं सुना'' है।

लेकिन इसके सिर्फ चार दिन बाद ही वैंग ने कहा कि क्विन ''स्वास्थ्य संबंधी कारणों'' के चलते, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित ''एसोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशंस'' की मीटिंग में शामिल नहीं हो पायेंगे, किन्तु विस्तार से कुछ नहीं बताया गया।

चिन को क्या हुआ इसकी अफवाहें पिछले कुछ सप्ताहों से घरेलू और विदेशी सोशल मीडिया पर फैल रही हैं।

जब सोमवार को चिन के गायब होने के बारे में जोर देकर पूछा गया तो विदेश मंत्रालय की एक अन्य प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है।

लेकिन आश्चर्य की बात है कि क्विन के गायब होने के बारे में प्रश्न और टिप्पणियां मंत्रालय की वेबसाइट से गायब थे।

विदेश मंत्रालय की अधिकृत वेबसाइट पर क्विन का नाम अभी भी विदेश मंत्री के रूप में है।

ली कोरे ने कहा, ''किसी अन्य देश के लिए इसे एक गंभीर कूटनीतिक शर्मिंदगी होता, लेकिन चीन में हमेशा राजनीति हावी रहती है। कूटनीति दोयम दर्जे की कार्रवाई है और विदेश मंत्री इतने शक्तिशाली नहीं होते।''

उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी स्पष्टीकरण के लिए तैयारी कर रही है। कोरे ने कहा कि क्विन का विदेश उप मंत्री (प्रोटोकॉल प्रभारी) से लेकर अमेरिका में राजपूत और विदेश मंत्री तक का उत्थान बहुत तेज था। उन्होंने कहा, ''वे आपके आम विदेश मंत्री नहीं है। उनके संपर्क ऊपर तक हैं।

लंदन स्थित रॉयल युनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में एसोसिएट फैलो सैरी आर्हो हैवरेन ने कहा कि क्विन का मामला प्रत्यक्ष उदाहरण हैं कि व्यवस्था कैसे काम करती है। उन्होंने कहा, ''यह खेल कयासबाजी का है। कम्युनिस्ट पार्टी पारदर्शी नहीं है। और आमतौर पर ऐसी स्थिति में सूचना जारी नहीं करती जबकि वे तीन सप्ताह से गायब हैं जो एक लंबी अवधि है। तो हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं।

सिंगापुर में ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में एसोसिएट प्रोफेसर एल्फ्रेड वु ने कहा कि क्विन की स्थिति स्पष्ट करने या उससे इंकार करने में बीजिंग की असफलता उनके कैरियर और देश की छवि के लिए अशुभ संकेत हैं।

उन्होंने कहा कि स्थिति अप्रत्यशित नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया जब 2012 में पार्टी के शीर्ष पद पर पहुंचने से पहले शी गायब रहे। उन्होंने कहा,''यह एक और उदाहरण है गोपनीयता के प्रति चीन की सनक था।''

वू ने कहा कि क्विन की अनुपस्थिति और बीजिंग का इस पर रवैया ज्यादा अधिनायकवादी हो रहा है जिससे चीन की एक व्यक्ति पर केन्द्रित राजनीति और अनिश्चित होती जा रही है जिससे विदेशी निवेश सुनिश्चित करना मुश्किल हो रहा है।

पेनसिल्वेनिया की बकनैल युनिवर्सिटी में अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर झिकुन झू ने कहा इस रहस्य से चीन की अपारदर्शी व्यवस्था के नकारात्मक पक्ष को बढ़ावा मिलेगा।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, जी-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2008/27147 जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालयः राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्सः 02973-226424 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908